[2020] 4 एस.सी.आर. 550

मुकेश

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

(2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 119)

19 मार्च, 2020

[आर. भानुमति, अशोक भूषण और ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति]

निर्भया मामला - एक दोषी द्वारा मामले के गुण-दोष पर बिन्दुओं को उठाते हुए अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका - अभिनिर्धारित किया गया: याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया और साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसे सिद्धदोष ठहराया गया - उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दोषसिद्धि को बनाये रखा गया - 2017 की आपराधिक अपील संख्या 607-608 जिसका शीर्षक मुकेश और एक अन्य बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य और अन्य है जिसे [2017] 6 एस.सी.आर. 1 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था - इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की समीक्षा याचिका (सी.आर.एल.) संख्या 570 जिसे [2018] 7 एस.सी.आर. 898 रूप में रिपोर्ट किया गया, को भी खारिज कर दिया गया था - उसके खिलाफ 2020 की सुधारात्मक याचिका (आर) संख्या 6 को भी खारिज कर दिया गया था - याचिकाकर्ता की दया याचिका को भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया था - उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनुछेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिका भी खारिज कर दी गई थी - याचिकाकर्ता ने पटियाला हाउस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की थी - खारिज कर दी गई - उक्त आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2020 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी - इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है - भारत का संविधान - अनुछेद 32

आपराधिक मूल अधिकारिता: 2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 119

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

मनोहर लाल शर्मा, सुश्री सुमन और दीपक गोयल, अधिवक्तागण, याचिकाकर्ता के लिए।

चिराग एम. श्रॉफ, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. हमने मुकेश-सिद्धदोषी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर लाल शर्मा को सुना है।

2. इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने मामले के गुण-दोष पर बिंदु उठाए हैंः- (i) कि साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया गया था; (ii) राम सिंह (अभियुक्त संख्या 1) की अक्षमता के बारे में जिसने बाद में जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली; और (iii) अन्य बिंदुओं के साथ करोली, राजस्थान में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में संदेह पैदा करना।

3. याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया था और साक्ष्य पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दिनांकित 13.03.2014 के निर्णय द्वारा बनाए रखा गया था। इस न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक अपील पर विस्तार से सुनवाई की गई और इसमें अभियुक्त द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर 2017 की आपराधिक अपील संख्या 607-608-मुकेश और एक अन्य बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य और अन्य में विचार किया गया था और जिनको इस न्यायालय के दिनांक 05.05.2017 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ 2017 को समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 570 दायर की गई जिसको 09.07.2018 को इस न्यायालय के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2020 की सुधारात्मक याचिका (आर) संख्या 6 को भी इस न्यायालय द्वारा 14.01.2020 पर खारिज कर दिया गया था। मुकेश की दया याचिका को भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 17.01.2020 पर खारिज कर दिया था। दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने वाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को भी इस अदालत ने 29.01.2020 को खारिज कर दिया था।

4. याचिकाकर्ता ने पटियाला हाउस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.03.2020 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता-मुकेश द्वारा 17.03.2020 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई 2020 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 237 को भी उच्च न्यायालय द्वारा 18.03.2020 को खारिज कर दिया था।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर भी विचार करते हुए, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

6. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटान माना जाएगा।

दिव्या पांडे रिट याचिका खारिज की गई।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.